केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944

प्रस्तावना

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 313 की उप-धारा (3) के साथ पठित, धारा 241 के उप-खंड (2) द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, परिषद के गवर्नर-जनरल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जो इस प्रकार हैं:

नियम 1 संक्षिप्त शीर्षक और अनुप्रयोग की सीमा

नियम 1 (1). इन नियमों को केंद्रीय सेवाएँ (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 कहा जाएगा।

नियम 1 (2). ये नियम (i) रेल सेवा में कार्यरत तथा (ii) कलकत्ता या आसपास कहीं अराजपत्रित पद पर नियुक्त हैं, को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जिनकी सेवा शर्तों को केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया है या बनाया जा सकता है, जब वे ड्यूटी पर, छुट्टी पर या भारत में विदेश सेवा पर हों या निलंबन के अधीन हों।

नियम 2. परिभाषाएँ

इन नियमों में, जब तक कि इसके विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न होः-

नियम 2 (क) "अधिकृत चिकित्सा परिचारक" से तात्पर्य -

(i) सरकारी कर्मचारी के संदर्भ में, जो केंद्रीय सेवा, प्रथम श्रेणी का कर्मचारी है, या जिसका वेतन प्रति माह रू.500 से कम न हो, सरकार द्वारा नियुक्त जिले का प्रधान चिकित्सा अधिकारी जिले में उसके अधिकारियों का दायित्व लेगा।

(ii) सरकारी कर्मचारी, जो केंद्रीय सेवा में प्रथम श्रेणी का कर्मचारी नहीं है, या जिसका वेतन प्रति माह रू.500 से कम, लेकिन रू.150 से अधिक है, सहायक सर्जन ग्रेड 1 (चिकित्सा स्नातक), या सरकार द्वारा नियुक्त अन्य चिकित्सा अधिकारी थाने में उसके अधिकारियों का दायित्व लेगा।

(iii) किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के संदर्भ में सहायक सर्जन ग्रेड 2 (चिकित्सा लाइसेंसधारी), या इसी समानता से नियुक्त अन्य चिकित्सा अधिकारी दायित्व लेगा।

नियम 2 (ख) "जिला" से तात्पर्य वह जिला जहाँ सरकारी कर्मचारी बीमार हुआ है।

नियम 2 (ग) "सरकार" से तात्पर्य -

(i) विभाग "क" या विभाग "ख" राज्य के संबंध में, राज्य सरकार, और

(ii) विभाग "ग" राज्य के संबंध में, उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त, जैसे स्थिति हो।

नियम 2 (घ) "सरकारी अस्पताल" के अंतर्गत सैन्य अस्पताल शामिल है, जो भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा के लिए विनियमों को परिशिष्ट 32 के प्रावधानों के अधीन होगा, अस्पताल जिसकी स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा देखभाल की जा रही है और अन्य कोई अस्पताल जिसके साथ सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के उपचार के लिए व्यवस्था की गई है।

नियम 2 (ड-) "चिकित्सा परिचर्या" से तात्पर्य -

(i) उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट सरकारी कर्मचारी के संदर्भ में, अस्पताल में या सरकारी कर्मचारी के निवास पर परिचर्या, जिसमें निदान के उद्देश्य से जाँच जैसे पैथोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, रेडिओलॉजिकल या अन्य जाँच की पद्धतियाँ शामिल हैं जो जिले में किसी भी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं और अधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा आवश्यक मानी गयी हैं तथा इसके लिए विशेषज्ञ या राज्य में नियुक्त सरकार के अन्य चिकित्सा अधिकारी के साथ यह परामर्श करना आवश्यक हो, जो कि अधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तथा जो उस सीमा तक और उस पद्धति से विशेषज्ञ या चिकित्सा परिचर द्वारा निश्चित किया जाता है।

(ii) किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के संदर्भ में, किंतु केंद्रीय सेवा चतुर्थ श्रेणी के सदस्य को छोड़कर, परिचर्या अस्पताल में या ऐसी बीमारी की स्थिति में सरकारी कर्मचारी के निवास पर जो रोगी को उसके निवास में रहने पर बाध्य करती है, जिसमें निदान के लिए जाँच की पद्धतियां जैसे कि सबसे नजदीक के सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं और विशेषज्ञ या जिले में नियुक्त सरकार के अन्य चिकित्सा अधिकारी के साथ ऐसे परामर्शों का आवश्यक होना अधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा जैसे प्रमाणित किया जाता है, उस सीमा तक और उस पद्धति से जो विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी, अधिकृत चिकित्सा परिचर्या के साथ परामर्श द्वारा निश्चित कर सकता है।

(iii) केंद्रीय सेवा चतुर्थ श्रेणी के सदस्य के संदर्भ में, अस्पताल में परिचर्या जिसमें निदान के लिए जाँच की पद्धतियां शामिल हैं जैसे कि सबसे नजदीक के सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं और विशेषज्ञ या जिले में नियुक्त सरकार के अन्य चिकित्सा अधिकारी के साथ ऐसे परामर्शों का आवश्यक होना अधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा जैसे प्रमाणित किया जाता है, उस सीमा तक और उस पद्धति से जो विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी, अधिकृत चिकित्सा परिचर्या के साथ परामर्श द्वारा निश्चित कर सकता है।

नियम 2 (च) "रोगी" से तात्पर्य ऐसे सरकारी कर्मचारी से है जिस पर ये नियम लागू होते हैं और जो बीमार पड़ गया है।

नियम 2 (छ) "राज्य" से तात्पर्य, वह राज्य, जिसमें रोगी बीमार हुआ है।

नियम 2 (ज) उपचार" से तात्पर्य, सरकारी अस्पताल में उपलब्ध सभी चिकित्सा और सर्जिकल सुविधाओं का इस्तेमाल, जिसमें सरकारी कर्मचारी का उपचार किया जा रहा है और इसमें निम्नलिखित शामिल है -

(i) ऐसी पैथोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, रेडिओलॉजिकल, या अन्य पद्धतियाँ, जो अधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा आवश्यक मानी जाती हैं, का उपयोग करना।

(ii) उन दवाइयों, टीकों, सीरा या अन्य चिकित्सकीय पदार्थों का प्रावधान करना जैसे सामान्य रूप से अस्पताल में उपलब्ध होता है।

(iii) ऐसी दवाइयों, टीकों, सीरा या अन्य चिकित्सकीय पदार्थों का प्रावधान करना, जो सामान्य रूप से उपलब्ध न हों जैसे अधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा, सरकारी कर्मचारी के स्वस्थ होने या सरकारी कर्मचारी की बिगड़ती हालत की रोकथाम के लिए आवश्यक हो, लिखित में प्रमाणित किया जाता है।

(iv) ऐसा निवास जो सामान्य रूप से अस्पताल में प्रदान किया जाता हैं और जो उसकी हैसियत के अनुकूल हो, अस्पताल में सामान्य या मुफ्त कक्षों में भर्ती, केंद्रीय सेवा, चतुर्थ श्रेणी के सदस्य के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं।

(v) ऐसी उपचर्या सेवा सामान्य रूप से भर्ती होने वाले रोगियों को अस्पताल द्वारा प्रदान की जाती है; और

(vi) उपखंड (ड.) में विशेषज्ञों से परामर्श का वर्णन किया गया है लेकिन इसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर आहार या प्रावधान या जो उप-खंड (iv) में वर्णन किया गया है उससे उच्चतर आवास का प्रावधान शामिल नहीं है।

<u>नियम 3 चिकित्सा परिचर्या</u>

नियम 3(i) - सरकारी कर्मचारी अधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा मुफ्त चिकित्सा परिचर्या के लिए हकदार होगा।

नियम 3(ii) - जहां सरकारी कर्मचारी उप-नियम (1) के अधीन चिकित्सा परिचर्या के बिना किसी शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा, ऐसे चिकित्सा परिचर्या के लिए उसके द्वारा दी गयी किसी भी राशि की उसे, उसके बारे में अधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा दिया गया लिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

<u>नियम 4 चिकित्सा परिचर्या यात्रा के लिए यात्रा भत्ता</u>

नियम 4(i) - जब वह जगह, जहां रोगी बीमार हुआ है अधिकृत चिकित्सा परिचारक के परामर्श कमरे से सबसे नजदीक के रास्ते से पांच मील से ज्यादा दूरी पर हो -

(क) रोगी, ऐसे परामर्श कमरे तक आने और जाने के सफर के लिए यात्रा भत्ता का हकदार है, या

(ख) यदि रोगी बहुत अधिक बीमार हो तो अधिकृत चिकित्सा परिचारक को उस रोगी की जगह तक जाने और आने के लिए यात्रा भत्ता लेने का हकदार होगा ।

नियम 4(ii)- उप-नियम (1) के अधीन यात्रा भत्ता के लिए आवेदन के साथ अधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा लिखित स्वरूप में दिया गया प्रमाणपत्र इस उल्लेख के साथ जोड़ा जाना चाहिए कि चिकित्सा परिचर्या आवश्यक थी और यदि आवेदन उस उप-नियम के खंड (ख) के अधीन है तो इस उल्लेख के साथ कि रोगी यात्रा करने के लिए बहुत अधिक बीमार था।

<u>नियम 5 विशेषज्ञ के साथ परामर्श</u>

नियम 5 (1)- यदि अधिकृत चिकित्सा परिचारक की यह राय है कि रोगी की स्थिति इतनी गंभीर या विशेष स्वरूप की है कि उसके अलावा किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा परिचर्या की आवश्यकता है, तो वह राज्य के मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदन से ऐसा कर सकता है (जो पहले से ही प्राप्त की जाएगी सिवाय इसके कि देरी होने से रोगी का स्वास्थ्य जोखिम में आ सकता है)-

(क) रोगी को सबसे नजदीक के विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा जा सकता है जैसे नियम 2 के खंड (ड.) में प्रावधान है, जिसके द्वारा, उसकी राय में, रोगी को चिकित्सा परिचर्या की आवश्यकता है, या

(ख) यदि रोगी सफर करने के लिए बहुत अधिक बीमार है, तो ऐसे विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सा अधिकारी को रोगी की सेवा के लिए बुलावा भेज सकता है।

नियम 5(2) - उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन भेजा गया रोगी अधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा लिखित में दिया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सा अधिकारी के मुख्यालय तक जाने और आने की यात्रा का यात्रा भत्ता पाने का हकदार है।

नियम 5(3) - विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सा अधिकारी उप-नियम(1) के खंड(ख) के अधीन बुलाए जाने पर, इसके बारे में अधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा लिखित में दिया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जहां रोगी है उस जगह तक जाने और आने की यात्रा का यात्रा भत्ता पाने का हकदार है।

<u>नियम 6 चिकित्सा उपचार</u>

नियम 6 (1)- सरकारी कर्मचारी बिना किसी शुल्क के -

(क) ऐसे सरकारी अस्पताल में या जहां वह बीमार होता है उस जगह से नजदीक जैसी कि अधिकृत चिकित्सा परिचारक की राय है, वहाँ आवश्यक और उचित उपचार पाने का हकदार है, या

(ख) यदि वहां कोई अस्पताल नहीं है जैसे उप-खंड (क) में संदर्भ दिया गया है तो सरकारी अस्पताल के अलावा या जैसा कि अधिकृत चिकित्सा परिचारक की राय में हो सकता है नजदीक की जगह पर आवश्यक और उचित उपचार पाने का हकदार है।

नियम 6(2) - जहां सरकारी कर्मचारी उप-नियम (1) के अधीन, बिना किसी शुल्क के, अस्पताल में उपचार का हकदार है, तो उसके द्वारा ऐसे उपचार के लिए अदा की गई कोई भी राशि की, अधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा इसके बारे में लिखित में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

<u>नियम 7 निवास पर उपचार</u>

नियम 7(1) - यदि अधिकृत चिकित्सा परिचारक की यह राय है कि योग्य अस्पताल के न होने या सुदूर स्थिति में होने की स्थिति में या बीमारी की गंभीरता के कारण, सरकारी कर्मचारी को नियम 6 के उप-नियम(1) के खंड(क) में प्रावधानों के अधीन उपचार नहीं दिया जा सकता हैं, तो सरकारी कर्मचारी अपने निवास स्थान पर उपचार पा सकता है।

नियम 7(2) - अपने निवास स्थान पर उपचार प्राप्त करने वाला सरकारी कर्मचारी उप-नियम(1) के अधीन ऐसे उपचार के खर्च के बराबर की राशि प्राप्त करने का हकदार है और यदि इन नियमों के अधीन उसका उपचार उसके निवास स्थान पर नहीं किया जाता तो ऐसे उपचार, जिसे वह बिना किसी शुल्क के पाने का हकदार होता।

नियम 7(3) - उप-नियम (2) के अधीन रकम के लिए ग्राह्य दावे अधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा लिखित में दिए गए प्रमाणपत्र के साथ संलग्न होने चाहिए जिसमें यह उल्लेख होगा-

(क) उप-नियम (1) में संदर्भगत राय के लिए उसके कारण; और

(ख) उप-नियम (2) में संदर्भगत समान उपचार का खर्च।

<u>नियम 8 अन्य चिकित्सा सुविधाएं</u>

नियम 8(1)- प्रदान की गई संबंधित सेवाओं का शुल्क लेकिन जो चिकित्सा परिचर्या में, या जिन उपचारों का रोगी बिना किसी शुल्क पाने का हकदार है, उनमें शामिल नहीं है, का इन नियमों के अधीन चिकित्सा परिचर्या या उपचार अधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा निर्धारित किया जाएगा और रोगी द्वारा अदा किया जाएगा।

नियम 8(2)- कौन सी सेवा चिकित्सा परिचर्या या उपचार में शामिल है, के बारे में यदि कोई विवाद है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

<u>नियम 9 - प्रमाणपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर</u>

रोगी का नियंत्रण अधिकारी इन नियमों द्वारा आवश्यक किसी भी प्रमाणपत्र पर प्रतिहस्ताक्षर की मांग कर सकता है जो अधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा यात्रा भत्ता के उद्देश्य के लिए दिया गया है-

(क) यदि प्रमाणपत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा, राज्य के मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया है, और

(ख) यदि प्रमाणपत्र किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया है।

<u>नियम 10 - विदेश सेवा में स्थानांतरण</u>

किसी भी सरकारी कर्मचारी का विदेश सेवा में तब तक स्थानांतरण नहीं होगा, जब तक विदेशी नियोक्ता उसे यह सुविधा उपलब्ध कराने का वचन नही देता और ये सुविधा उससे कम नहीं होगी जिसे वह भारत सरकार की सेवा में नियुक्त होने पर प्राप्त कर सकता था।

<u>नियम 11 - भारत से बाहर उपचार</u>

नियम 11(1) - सरकारी कर्मचारी भारत के बाहर उपचार प्राप्त करने के लिए पात्र होगा या, जैसे स्थिति हो, इस नियम के प्रावधानों के अनुसार भारत में या भारत के बाहर चिकित्सा उपचार पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए पात्र होगा।

नियम 11(2) - सरकारी कर्मचारी जो भारत के बाहर चिकित्सा उपचार प्राप्त करना चाहता है, अपने विभाग/मंत्रालय के माध्यम से द्वारा जिस स्थायी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में इस नियम के अंतर्गत गठित स्थायी समिति को आवेदन कर सकता है।

नियम 11(3) - सरकारी कर्मचारी जो भारत के बाहर अपने लिए या उसके परिवार के सदस्य के लिए कोई भी उपचार प्राप्त करना चाहता है जो नीचे दी हुई सारणी में स्पष्ट किए गए हैं, वह इस नियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, भारत के बाहर चिकित्सा उपचार पाने का पात्र होगा।

सारणी

(1) व्यापक अनुभव वाले केन्द्रों में उपचार के लिए जटिल/उच्च जोखिमयुक्त हृदवाहिका शल्य चिकित्सा मामले;

(2) अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण;

(3) जटिल चिकित्सा और ऑनकोलॉजिकल विकार, जैसे ल्यूकीमिया और निओ-प्लास्टिक स्थिति;

(4) व्यापक अनुभव वाले केंद्रों में उपचार के लिए सूक्ष्म वाहिका और तांत्रिक शल्य चिकित्सा में जटील उच्च जोखिमयुक्त मामले;

(5) उपरोक्त उल्लेखित के अलावा नितान्त जटिल मामलों का उपचार, जो स्थायी समिति की राय में सिर्फ विदेश में ये उपचार किए जा सकते हैं और उच्च जोखिम प्रकार में आते हैं।

नियम 11(4) - केंद्र सरकार समय-समय पर उपचार सुविधाओं की समीक्षा करने में सक्षम होगी, जैसे उप-नियम (3) की सारणी में स्पष्ट किया गया और ऐसे अतिरिक्त परिवर्धन करना या हटाना जैसा उचित समझा जाए और इसे सरकारी राजपत्रित की अधिसूचना अब जारी किया जाए।

नियम 11(5) - केंद्र सरकार इस नियम के उद्देश्य के लिए, एक स्थायी समिति गठित कर सकती है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होंगेः-

(क) केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक,

(ख) सशस्त्र बल सेवा चिकित्सा के महानिदेशक,

(ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक; और

(घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव (संयोजक), पर भारत के बाहर इलाज के लिए केन्द्र सरकार को मामलों पर विचार करने और सिफारिश करने के लिए होगी।

नियम 11(6) - भारत के बाहर इलाज के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, स्थायी समिति, उचित विचार-विमर्श के बाद, संतुष्ट होने पर, कि बीमारी या इलाज सिर्फ भारत के बाहर ही किया जा सकता है, संबंधित विभाग या मंत्रालय को प्रमाणपत्र दे सकती है जो सरकारी कर्मचारी के आवेदन के साथ जुड़ा होगा, उसके आवेदन की मान्यता स्पष्ट करते हुए और संबंधित विभाग या मंत्रालय, उस प्रमाणपत्र के क्षमतानुसार संबंधित सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को भारत के बाहर इलाज के लिए आवश्यक खर्च कर सकता है जो कि स्थायी समिति द्वारा निर्देशित की हुई प्रक्रिया के अनुसार होगा।

नियम 11(7) - केंद्र सरकार भारत के बाहर प्राप्त किए गए चिकित्सा / इलाज पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति प्राधिकृत करने में सक्षम होगा, यदि वह संतुष्ट है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा परिस्थितियों के नियंत्रण से परे होने के कारण पूर्व अनुमोदन नहीं लिया जा सका था;

बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी इस नियम के अधीन भारत के बाहर चिकित्सा उपचार से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूरी करता हो।

नियम 11(8) -यदि स्थायी समिति, इस बात से संतुष्ट हो कि विदेश में उपचार लेने वाले सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार सदस्य के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के साथ एक परिचारक भेजने की सिफारिश कर सकती है, जैसे स्थिति हो, और इस पर हुए खर्च की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

नियम 11(9) - जहाँ स्थायी समिति, भारत के बाहर चिकित्सा उपचार के लिए प्राप्त आवेदन पर यह विचार करती है कि बीमारी के लिए माँगी गई पर्याप्त सुविधा भारत के अंदर किसी चिकित्सा संस्था में उपचार के लिए उपलब्ध है, तो वह इस निष्कर्ष को दर्ज करेगी और ऐसी बीमारी के लिए भारत में ही ऐसी चिकित्सा संस्था में उपचार के लिए प्राधिकृत करेगी जहां ऐसे उपचार के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

नियम 11(10)- उप-नियम (9) के उद्देश्य के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय स्थायी समिति के साथ समय-समय पर परामर्श करके, ऐसी संस्थाओं के नाम बीमारियाँ और ऐसी संस्थाओं में उपलब्ध उपचारों के प्रकारों के साथ सूचित करेगा।

नियम 11(11)- खर्च की सीमा और उपचार के लिए पात्रता जिसके लिए सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य हकदार होंगे, वह विदेश मंत्रालय में वर्तमान में जारी ऐसे किसी भी सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अधीन भारतीय विदेश सेवा में सम्बंधित श्रेणी के अधिकारी के खर्च की सीमा और पात्रता के समान होगी।